न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

क्रमांकः कोर्ट/2019/2525 दिनांक 26 –12 –2019

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या 129/2019................

तहसीलदार सिरोही द्वारा जरिये पत्र कमांक 2658 दिनांक 6-12-19 के संलग्न ग्राम सिलदर के प्राप्त प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर तहसीलदार सिरोही को पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड के भेजकर आदेश दिये जाते है कि प्रस्तावानुसार अपक्षित राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार सा.
सिरोही

विषय :- खाते में हमारा हिस्सा सही कराने हेतु।

महोदयजी,

उपरोक्तानुसार निवेदन है कि मेरा जूजाराम S/. छूमाजी पुरोहित का खाता सं. 348 ग्राम सिलदर मे है। जिसमे मेरा हिस्सा आधा एवं हंसाराम S/. लादाजी पुरोहित का ½ हिस्सा था जबकि वर्तमान जमाबंदी में मेरा (जूजाराम) खाते मे हिस्सा ¼ एवं हंसाराम का हि॰ 3/4 दर्ज हुआ है जो गलत हुआ है अतः नकल पुरानी व नई साथ मे लगाई गयी है जिसको हंसाराम S/. लादा का ½ हिस्सा एवं जूजाराम S/. छूमा का ½ हिस्सा सही करवाने का करावे।

संलग्न
जमाबंदी नकल-2

(हस्ताक्षर) जूजाराम S/. छूमाजी पुरोहित
प्रार्थी

छूमाराम पुरोहित

Mob-9982997226

UR
(हस्ताक्षर) 5/12/19

रीडर
12/12/19

पटवारी रिपोर्ट

दि॰ 05-12-19

मूल श्री श्रीमानजी को भेजकर निवेदन है कि खाते मे हिस्सा जूजा S/. छूमा ½ हि॰ एवं हंसाराम पुत्र लादाराम पुरोहित हि॰ ½ सही शुद्धि किया जाना सही है यह कि पूर्व मे खाते मे हंसाराम S/. लादाजी के दो बहनो द्वारा हकत्याग हंसाराम के पक्ष मे किया गया था अतः हंसाराम S/. लादाजी ½ हिस्से व जूजा पुत्र छूमा हि॰ ½ शुद्धि किया जाना सही है

(हस्ताक्षर)
05/12/19
प.क्लिदर

राजस्थान - सरकार
कार्यालय तहसीलदार (भू॰ अ॰) सिरोही

क्रमांक/भू॰अ॰/2019/2658 दिनाँक 6/12/2019

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सिरोही को प्रेषित कर निवेदन है कि पटवारी हल्का सिलदर की रिपोर्ट अनुसार मौजा सिलदर की सेटलमेंट दौरान की जमाबंदी सम्वत 2072-2075 (जमाबंदी 2075 से स्थायी) के मध्य खाता सं. 348 में क्रम सं. 1 व 2 पर अंकित दोनों खातेदारों का हिस्सा क्रमशः ½ व ½ दर्ज होना चाहिए था जबकि वक्त जमाबंदी तैयारी हिस्सा क्रमशः ¼ व 3/4 अंकित हुआ है जो अशुद्ध है। अतः हिस्सा शुद्धि हेतु रिपोर्ट

1693
12/12/19

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.27 18:40:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: